URGENT/TIME BOUND

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार, राजस्थान परिमण्डल, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302008	Connecting India	भारत संचार निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED (A Govt. of India Enterprise)

क्रमांक: एसयू/बीएसएनएल/103-परि.परिषद/बैठक/2013/82 दिनांक 13 .08.2015

सेवामें,

1. सभी एसएसए प्रमुख राजस्थान परिमंडल।
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक (एनडबल्यूओ -सीएफ़ए)/(सेल्स एण्ड मार्केटिंग),परिमंडल कार्यालय जयपुर।
3. वरिष्ठ महाप्रबंधक(नेटवर्क प्लानिंग-सीएम)/ (नेटवर्क प्रचालन-सीएम), सीएम विंग, जयपुर।
4. महाप्रबंधक (एनडबल्यूपी-सीएफए)/(बीपी & आईटी)/(वित्त) परिमंडल कार्यालय जयपुर।
5. मुख्य अभियंता (सिविल), जयपुर।
6. उ.म.प्र. (आरटीटीसी), जयपुर।

विषय: परिमंडल परिषद की कार्यसूची **(Agenda Point)**।

उपरोक्त विषयान्तर्गत परिमंडल परिषद के सचिव, स्टाफ पक्ष से प्राप्त कार्यसूची की फोटो प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। इस संदर्भ में मुझे आपसे यह आग्रह करने का निर्देश हुआ है कि कृपया आपसे सम्बन्धित मुद्दों को जांच कर रिपोर्ट मय वांछित दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को दिनांक 01.09.2015 तक आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करे।

संलग्न : कार्यसूची

13/8/15

सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक)
कार्या. मु.म.प्र.दूरसंचार राज. परि. जयपुर।

प्रतिलिपी:-

1. सहायक महाप्रबंधक(प्रशासन)/ (P-II) परिमंडल कार्यालय जयपुर।
2. सहायक निदेशक (कर्म-।।)/ (कर्म-।।।), परिमंडल कार्यालय जयपुर।
3. आरजे इंटरानेट पोर्टल पर सूचनार्थ ।

राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल परिषद्

(RJCM)
(कर्मचारी वर्ग)
भारत संचार निगम लिमिटेड
परिमण्डल कार्यालय परिसर, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर

लीडर — **सचिव**
आर.जी.दीक्षित — **अरूण निगम**
मो. 9414753221 — मो. 9414170444

पत्रांक : RJCM/2014-15/। **DATE :- 15.07.2015**

भारत संचार निगम लिमिटेड
कार्या. मु. महाप्रबन्धक दूरसंचार
राजस्थान परिमण्डल, जयपुर
28 JUL 2015
Sr. No.
Bharat Sanchar Nigam Limited
O/o Chief General Manager
Telecom Raj. Circle, JAIPUR

1029

सेवामें,
श्रीमान मुख्य महाप्रबन्धक महोदय,
राजस्थान दूर संचार परिमण्डल
जयपुर

विषय :– परिमण्डल परिषद (RJCM) बैठक हेतु ऐजेण्डा –

महोदय जी,

परिमण्डल परिषद (RJCM) की बैठक हेतु एजेण्डा संलग्न कर लेख है कि सभी मुद्दों पर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही कर शीघ्र ही परिषद की बैठक का आयोजन सुनिश्चित करें, ताकि कर्मचारी वर्ग व कम्पनी की सेवा सम्बन्धी समस्याओं का समुचित समाधान हो सकें।

धन्यवाद ।

संलग्न :–
परिमण्डल परिषद बैठक में विचार हेतु एजेण्डा

प्रतिलिपि :–
लीडर कर्मचारी वर्ग श्री आर.जी. दीक्षित
परिमण्डल परिषद् के समस्त सदस्य

भवदीय

(अरूण निगम)
सचिव, परिमण्डल परिषद्
(RJCM)राजस्थान

DA(HRD) AD(HRD) DCM(HR&A) AGM(CR) 28/7/15

राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल परिषद्
(RJCM)
(कर्मचारी वर्ग)
भारत संचार निगम लिमिटेड
परिमण्डल कार्यालय परिसर, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर

लीडर
आर.जी.दीक्षित
मो. 9414753221

सचिव
अरूण निगम
मो. 9414170444

पत्रांक : RJCM/2014-15/1 DATE :- 15-07-2015

परिमण्डल परिषद् बैठक हेतु एजेण्डा

पुराने लम्बित मुद्दे :–
सी जी आई एस का भुगतान का मामला

1. चिकित्सा पुर्नःभरण योजना

(अ) निम्न कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भूगतान लम्बे समय से पेंडिंग है, पिछली मिटिंग में तुरन्त भुगतान दिये जाने के आश्वासन के बाद भी अभी तक भूगतान न होने से इन मामलो में तुरन्त निर्णय हेतु निवेदन है ।

श्री सीता राम तिवारी व.का.सा. म प्र दूर संचार जिला – बीकानेर
श्री सिंग राम गोस्वामी " " " – चुरू
श्री केसरी लाल यादव " " " – उदयपुर
श्री शिव नारायण सिसोदिया " " – चित्तौड़ गढ़
श्री नन्द किशोर जाटव" " " – जयपुर

(ब) बीएसएनएल में अराजपत्रित/नॉन एक्जूक्यूटीव कर्मचारी हेतु जारी स्थानान्तरण नीति के दिशा निर्देश अनुसार मार्च माह में स्थानान्तरण प्रकिया प्रारम्भ कर अप्रेल माह तक स्थानान्तरण प्रकिया निश्चित रूप से पूर्ण करने हेतु सभी एसएसए को उचित निर्देश जारी करने हेतु मांग की गई थी ताकि कर्मचारियो को परेशानी ना हो, किन्तु अधिकतर एसएसए द्वारा इस का पालन ना करने से व स्थानान्तरण प्रकिया में देरी से कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः इस सम्बन्ध में तुरन्त उचित दिशा निर्देश जारी हो।

(स) अधिकतर एसएसए में विभागीय रिहायशी कॉलोनियों में आवश्यक रिपेरिंग व रखरखाव का कार्य रंग रोगन सफाई सीवरेज आदि की व्यवस्था ना होने से कर्मचारियों का भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस सम्बन्ध में पूर्व में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिये जाने के पश्चात् भी अभी तक कोई सुधार न हाने से कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा । सिविल विंग फंड न होने का कारण बता कर कार्य नहीं करवा रही है जब की कर्मचारियों से प्रति माह रख–रखाव चार्ज लिया जाता है अतः समय पर कार्य करवाने हेतु उचित आदेश व निर्देश जारी हो।

(द) अधिक्तर एसएसए में निरीक्षण गृह एवं ग्रुप सी एवं डी हेतु होलिडे होम के रखरखाव व सफाई व्यवस्था एवं केयर टेकर की उचित व्यवस्था हेतु निवेदन किया गया था, अन्य कई सर्कल की तरह इन को कांट्रैक्ट के आधार पर संचालित करवाने हेतु निवेदन किया गया था जिस से कर्मचारियों व अधिकारीयों को इस का समुचित लाभ मिल सकें चुंकि वर्तमान में कर्मचारियों की कमी के कारण विभागीय स्टाफ को लगाना सम्भव नहीं है, किन्तु इस सम्बन्ध में उचित निर्णय न होने से समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

(य) कर्मचारियों के लिवरेज आइटम की सप्लाई अधिकतर एस एस ए में देय होने के पश्चात भी अभी तक नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस एस ए द्वारा कार्यवाही न किए जाने से इस की सप्लाई में विलम्ब हो रहा है अतः इस सम्बन्ध में तुरंत कार्यवाही हेतु उचित आदेश व निर्देश प्रदान किए जावे साथ ही उचित बजट अलॉटमेंट के अभाव के कारण आइटम के नकद भूगतान भी समय पर नहीं हो रहा है। अतः सप्लाई व भूगतान समय पर हो यह सुनिश्चित किया जावें। उदयपुर/चित्तौड़गढ़/भरतपुर/सिरोही/नागौर इत्यादि ।

नए मुद्दे :–

बीएसएनएल की सर्विसेस के सम्बन्ध में :–

1. **20 से कम लैंड लाइन कार्यरत कनैक्शन वाले एक्स्चेंज को बन्द किए जाने के सम्बन्ध में।**
   बीएसएनएल हैड क्वार्टर द्वारा 20 से कम कार्यरत कनैक्शन वाले एक्स्चेंजों को बन्द किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए है, किन्तु एस एस ए द्वारा इन दिशा निर्देशों का पालन ना किए जाने के कारण ऐसे अनेक एक्स्चेंज अभी तक कार्यरत है जिस से बीएसएनएल को आर्थिक हानि के साथ–साथ स्टाफ का भी सही उपयोग नहीं हो पाया रहा है । अतः इस सम्बन्ध मे उचित निर्देश जारी किए जावें।
2. **कम कनैक्शनो वाले डबल्यूएलएल टावर को बन्द करने के सम्बन्ध में।**
   अनेक स्थानों पर डबल्यूएलएल टावर से बहुत कम कनैक्शन वर्किंग है एवं बहुत कम रेविन्यू मिल रही है ऐसे टावर को बन्द करने के निश्चित दिशा निर्देश जारी किए जावे ताकि राजस्व हानि कम हो सके।
3. **मोबाइल टावर के लम्बे समय से ईनस्टाल्ड के बाद भी एक्टिव ना होने के कारण हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।**
   राजस्थान परिमण्डल में अनेक स्थानों पर लम्बे समय टावर ईन्स्टाल्ड किए गए है किन्तु टॉवर को चालू ना करने से किसी प्रकार कि रेविन्यू नहीं मिल रही है किन्तु ऐसे टॉवर के रेन्ट व बिजली पर खर्च बराबर हो रहा है अतः ऐसे टॉवर्स को तुरन्त अन्य आवश्यकता वाले स्थान पर लगाए जावे ताकि हो रहे नुकसान से बचा जा सकें।
4. **नए मोबाइल टॉवर लगाकर कनेकटिविटी में सुधार किया जाने के सम्बन्ध में।**
   मोबाइल कनेकटिविटी व कॉल ड्रोप कि समस्या के चलते उपभोक्ताओं को भारी समस्या हो रही है व इससे ग्राहको कि संख्या बढ़ नहीं पा रही है अतः इस सम्बध में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। लैंड लाइन से मोबाइल पर वार्ता करने पर आवाज इको होती है एवं वार्ता में व्यवधान होता है, जिस से उपभोक्ताओ को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।
5. **एफटीटीएच कनेक्शन कि संख्या बढ़ने पर भी फाल्ट कंट्रोल हेतु उचित व्यवस्था ना होने से एवं अलग से स्टाफ ना लगाने से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी व कनेक्शन कटने के सम्बन्ध में।**

इस सम्बन्ध में लैंड लाइन के साथ–साथ ही फाल्ट बुकिंग कि व्यवस्था कि जावे तथा सेक्शन उप मण्डल अधिकारी/जेटिओं को ही नॉर्मल फाल्ट अपने फील्ड स्टाफ व टी टी ए स्टाफ से निकलवाने कि प्रक्रिया चालू कि जावे ताकि समय पर फाल्ट अटेण्ड हो सके।

6. **डीपी से कार्यरत कनैक्शनओं व पिल्लर/कैबिनेट पर उपलब्ध केबल पेयर का उचित रेकॉर्ड न होने से उपलब्ध क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पाने के सम्बन्ध में।**

रिकॉर्ड के अभाव में एरिया नॉन फिजिबल कर एनटीसी व शिफ्टिंग के एडवाइज नोट/सर्विस आर्डर लौटा दिये जाते है जिससे सेवा में व्यवधान आने के साथ–साथ रेविन्यू लॉस भी हो रहा है यदि केबल कार्य सेक्शन टी एम की देख रेख में हो तो उसको रूट व ज्वाइंट इत्यादि का ज्ञान रह सके।

7. **केबल मैंटेनेंस का स्टोर व ड्रोप वायर कि कमी के चलते सेवा में आ रहे व्यवधान के सम्बन्ध में।**

परिमण्डल में 200,400,600 पेयर के केबल उपलब्ध नहीं है इसी तरह फॉल्ट लोकेटर इन्स्युलेटर जोईंटिंग किट्स व रूट लोकेटर आदि की कमी के कारण केबल फाल्ट निकालने में काफी परेशानी व दिक्कत का सामना करना पड रहा है व इसमें समय भी अधिक लगता है। पुरानी पेपर कोर केबल को बदलने की तुरन्त आवश्यकता है ताकि सर्विसेस में सुधार हो सके। जयपुर/उदयपुर व अन्य एसएसए में ।

8. **एस डी सी ए पर ग्रामीण ऐरिया में एसडीई/ जेटीओ कि पोस्टिंग न होने से उपभोक्ताओं को व स्टाफ को हो रही परेशानियो के सम्बन्ध में।**

अनेक एसएसए में बड़ी संख्या में एसडीओई/जेटीओ कि पोस्टिंग एसएसए हैड्क्वार्टर पर ही कि हुई है तथा वे लम्बे समय से हैडक्वाटर पर ही कार्य कर रहे है अत रूरल ट्रान्सफर हेतु उचित पॉलिसी जारी कि जावे ताकि रूरल में खाली पड़ी पोस्टो पर पोस्टिंग हो सके।

9. **राजस्व बढ़ाने हेतु विभागीय भवन में उपलब्ध अतरिक्त स्पेस को अन्य ऐजेन्सीयों को किराए पर दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे किन्तु इस सम्बन्ध अधिकत्तर एसएसए में कार्यवाही न होने पर इस मामले में यथोचित्त प्रगति नही हो पाई ।**

10 .**उपभोक्ता सेवा केन्द्र परिसर में फ्रेन्चाईजी के स्टाफ को बैठने की अनुमति प्रदान न की जाँए ।**

11.**बीएसएनएल की जो नई सर्विसेज एवं नए प्लान आदि का प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से एवं स्पष्ट न होने के कारण, उसकी पूर्ण जानकारी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँच पाती है । अतः जानकारी उपभोक्ता तक सही ढंग से , स्पष्ट एवं व्यापक तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुँच सकें, इस पर उचित कार्यवाही होना सुनिश्चित हो ।**

बी.एस.एन.एल.एम.आर.एस के सम्बन्ध में :–

1. एसएसए द्वारा समय पर एम्पेल्ड़ हॉस्पीटल हेतु अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु उचित दस्तावेज़ न भेजे जाने के कारण हॉस्पीटल का एम्पेनल्ड़ नहीं हो पाया है जिससे कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु

शीघ्र कार्यवाही के लिये एसएसए को उचित निर्देश एवं आदेश प्रदान करावें व शीघ्र इस सुविधा को चालु किया जाये।

2. परिमण्डल स्तर पर एस.एस.ए से भेजे जाने वाले मेडीकल बिलों में लगातार आपत्तियाँ निकालने के कारण इनके निवारण में काफी लम्बा समय लग जाता है एवं भुगतान विलम्ब से ही हो पाता है। इस कारण अनेक केस काफी मात्रा में पेण्डींग होते जाते है। इन बिलो को शीघ्र भुगतान करवाने हेतु उचित व्यवस्था की जाये। संघ का निवेदन है कि परिमण्डल कार्यलय द्वारा बिलो को SSA से पूर्ण कार्यवाही हेतु जांच के चाहे गये बिन्दुवार एक प्रारूप में जारी हो एवं उसी अनुसार बिलो को SSA द्वारा प्रेषित किये जाये।
3. बेहोशी की हालत में कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो Anthorisation Letter एवं Visit हेतु मानवीय आधार पर Relaxation या Covering Approval प्रदान अस्पताल के रिकार्ड अनुसार दी जाये।
4. ऑन ड्यूटी स्टाफ यदि हादसे का शिकार हो जाता है तो उसकी जान बचाने के लिये पास के किसी अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो मानवीय आधार पर उसका भुगतान किया जाना चाहिये।
5. CGHS रेट नहीं होने पर भुगतान नहीं हो रहा है एवं न ही SMS जयपुर व AIMS नई दिल्ली द्वारा कोई रेट नहीं देने पर जयपुर एवं अजमेंर के 40–50 कर्मचारियों के बिल पिछले 2–3 वर्षो से भुगतान नही किये जा रहे। उनका उचित निर्णय लेकर भुगतान किया जाये।

ERP-System के सम्बन्ध में।

सभी कर्मचारियों के व्यक्तिगत क्लेम व अवकाश आदि ई.आर. पी. सिस्टम में आन लाईन प्रेषित करने के आदेश प्रसारित किये गये हैं, जबकि इस सम्बन्ध में निम्नलिखित समस्या आ रही है, जिनका प्रशासन द्वारा समाधान कराया जाना आवश्यक है:–

1. सभी यूनिटस में कर्मचारियों को ERP सिस्टम की जानकारी व प्रशिक्षण का अभाव।
2. फील्ड़ में कार्यरत लाइन स्टाफ व ग्रुप डी कर्मचारियों के क्लेम कौन आन लाईन प्रेषित करेगा। ऐसे उक्त कर्मचारी स्वयं ऑन लाईन प्रेषित करने में असक्षम है, इसके लिये उचित व्यवस्था उस कर्मचारी के यूनिट इंचार्ज की जिम्मेदारी सुनिश्चित करवाई जायें।
3. कई स्थानों पर फील्ड़ यूनिटस में कम्प्यूटर, प्रिन्टर इत्यादि उपलब्ध नहीं है, आन लॉइन क्लेम हेतु उचित व्यवस्था के आदेश प्रदान किये जाये।
4. पे स्लीप एवं GPF स्लीप अभी तक इस सिस्टम लागू होने के बाद से प्रदान नही की गई है।
5. इस सिस्टम के लागू होने के बाद से कई दूरसंचार जिले में अवकाश एवं कुछ भुगतान के मामधे पेण्डिंग है ।
   (i) चित्तौड़गढ़ के Effeutive OTA बिलों का भुगतान नही हो पा रहा है ।
   (ii) नागौर में छुट्टीयों का मामला

स्टाफ मेटर :–

1. टी.टी.ए. स्टाफ को ब्राडबैन्ड को लगाने व मेन्टेन्स एवम् पार्ट के कार्य हेतु लगाया गया है, क्योंकि पूर्व में जो मेन्टेन्स का टेन्डर था व समाप्त हो चुका है। अतः टी.टी. ए.स्टाफ को फाल्ट एटेन्ट के आधार पर मेन्टेन्स हेड में कन्वेन्स चार्ज का भुगतान किया जावें।

2. **इलाज के लिए मेडिकल बिलो की रू 15000/– से अधिक की राशि को नियमानुसार आयकर की गणना में शामिल ना किए जाने के सम्बन्ध में।**
भारत सरकार के सर्कुलर संख्या 603 एवं आयकर नियम की धारा 17 (2) बी के तहत अनुबन्धित एवं सरकारी अस्पतालों में लिए गए इलाज के मेडिकल बिलों के 15000 रू से अधिक की राशि को आयकर की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिये किन्तु उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है एव इस को आयकर की गणना में शामिल किया जा रहा इस से कर्मचारियों को नुकसान हो रहा हैं, पूर्व में कटोती की गयी राशि लौटाने की कार्यवाही की जावें एवं इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जावें।

3. **श्री कोशल किशोर शर्मा वरी कार्य सहायक, बूंदी का बूंदी से सवाई माधोपुर पेरा 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरण का मामला।**
उक्त कर्मचारी द्वारा आवेदित पेरा 8 में स्थानान्तरण मामला टीडीएम बूंदी द्वारा दि. 8.4.2015 को परिमण्डल कार्यालय जयपुर को भेजा गया था किन्तु परिमण्डल द्वारा कुछ आपत्ति के साथ पुन मामला बूंदी को भेजा गया है किन्तु टीडीएम बूंदी द्वारा मामले को पुनः अनुशंसा के साथ सर्कल को नहीं भेजा जा रहा है इस से कर्मचारी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

4. ग्रामीण टेन्यौर पूर्ण होने के बाद भी चुरू , बूंदी, पाली, बॉसवाडा, चित्तौडगढ, भरतपुर, सवाई माधोपुर, , झुन्झुनु, श्रीगंगानगर दूरसंचार जिले में स्थानान्तरण न किए जाने के सम्बन्ध में । इस सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति के अनुसार अवधि पूर्ण होते ही स्थानान्तरण आदेश जारी हो इस सम्बन्ध में उचित दिशा निर्देश जारी किए जाए ।

5. निम्न कर्मचारियों के मेडीकल बिलों को मानवीय आधार पर भुगतान स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में :–
(I)– श्री मांगीलाल भाटिया, वरि0 कार्यालय सहायक जैसलमेर का मेडीकल बिल समयावधि 9 दिन अधिक होने के कारण निरस्त किया गया ।
(II)–श्री मोजी लाल, टी/एम भरतपुर का ईलाज फोर्टीज अस्पताल जयपुर में हुआ एवं फोर्टीज अस्पताल द्वारा रू0 44000/– लिया गया परन्तु भुगतान रू0 10,000/– ही किया गया ।
(III)–श्री ईकबाल मोहम्मद, वरि0 कार्यालय सहायक सीकर, जिनकी किडनी का ईलाज अहमदाबाद में हो रहा था एवं किडनी फेल होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई परन्तु उनका रू0 35000/– के बिल का भुगतान न होने के सम्बन्ध में ।

अन्य मुद्दे :–

1. कम्प्युटर खरीद हेतु एस.एस.ए. में टेन्डर फाईनल करने में काफी विलम्ब होता है जिससे फन्ड के अलोटमेन्ट होने के पश्चात भी इसका उपयोग नहीं हो पाता है अतः सर्कल लेवल पर टेन्डर फाईनल कर एस.एस.ए. को खरीद कि कार्यवाही हेतु भेजा जावें, ताकि कम्प्युटर कि कमी को पुरा किया जा सकें।
2. सभी एस.एस.ए में लम्बे समय से फर्नीचर कि खरीद ना होने से इसकी भारी कमी है, इस हेतु भी सर्कल स्तर पर आवश्यक खरीद कर एस.एस.ए. को सप्लाई कि व्यवस्था कि जावें। क्योंकि एस.एस.ए अपने स्तर पर खरीदने काफी विलम्ब करते है जिससे अलोटेड फन्ड का समुचित उपयोग नही हो पाता है ।

सचिव
परिमण्डल परिषद
राजस्थान